


Om Bokash

17944


17944

43



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

168072



विक्रय विलेख भूमि


भूमि	-	
भूखण्ड शुल्क	-	25,53,000/-
पंजीयन शुल्क	-	25,53,000/-
पंजीयन शुल्क	-	2,84,240/-
भा. वि. शुल्क	-	51,060/-
कुल	-	2,56,000/-




श्री श्री श्री

श्री श्री श्री

श्री श्री श्री






उत्तर प्रदेश UTTAR



फोटो प्रमाणित
चौबीस वीर प्र सिंठे
बैनामा लेखक तह हापुड



168073


हम कि ओमप्रकाश पुत्र श्री शीशराम निवासी रेलवे रोड हापुड परगना व तहसील हापुड जिला गाजियाबाद (विक्रेता) अन्तरणकर्ता व

श्याम कुमार पुत्र श्री घनश्याम निवासी बाबा मेठिया, गोण्डा तहसील व जिला गोण्डा (क्रेता) अन्तरिति ।


Handwritten signature or name in Hindi script.

Handwritten signature in English script.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



168074


विदित हो कि भूमि जिसका पूर्ण विवरण अगले खण्ड में दिया गया है, जिसका अन्तरणकर्ता भूमिधर व मालिक स्वामी व काबिल और उसको हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकारी है जो कि आज दिन तक हर प्रकार ऋण-बन्धन, आड, लोन, जमानत सरकारी व गैर सरकारी आदि-आदि दोषों से पूर्णतया मुक्त है भूमि की विक्रय करने में किसी प्रकार की वैधानिक या अवैधानिक आपत्ति नहीं है को अन्तरणकर्ता सब अधिकार व हर प्रकार स्वत्व भूमिधरी, बी. जेत, डोला, मेंढ, देनकारी, लगान सरकारी आदि आदि को अपनी स्वेच्छा प्रसन्नता व स्वस्य मनोवृत्ति की वशा में बिना दवाव, पढवाकर, सुनकर, समझकर तथा सन्तुष्ट होकर बदले

गीतिका

2nd



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




168075


अकन 25,53,000/- रुपये आधे जिसके 12,76,500/- रुपये होते हैं, हाथ अन्तरिति को पूर्ण प्रकार से अन्तरण किया व बेच दिया तथा कुल रुपया निम्नानुसार जिसका पूर्ण विवरण आगे दिया गया है, के द्वारा प्राप्त करके विक्रीत भूमि पर अन्तरिति को स्वामी व काबिज करा दिया है, अधिकार का परिवर्तन हो गया है अब अन्तरणकर्ता व वारीसान अन्तरणकर्ता का विक्रीत भूमि व उसके मूल्य कम-वेश के सम्बन्ध में साथ अन्तरिति को कोई वाद विवाद किसी प्रकार का शेष

मोहन लाल

[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




168081

5


नहीं रहा और ना ही भविष्य में होगा, अमल बरामद अन्तरिति इसका माल विभाग में करा ले। विक्रीत भूमि यदि आज दिनांक 28-11-2006 तक किसी के वाद-विवाद से कुल या भाग विक्रय भूमि अन्तरिति के अधिकार व कब्जे से निकल जावे या अधिकार सुरक्षित करने के कारण अन्तरिति को कुल रूपया ओर देना पड़े या विक्रीत भूमि आड बय लोन उगादि से -ग्रस्त पायी जाती है या अन्तरणकर्ता इसे विक्रय करने के अधिकारी सिद्ध न हो तो ऐसी प्रत्येक वशा में

21/11/2006

Handwritten signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



168076


अन्तरिति को अधिकार रहेगा कि वह उक्त भूमि का बाजार मूल्य या भाग वह स्वयं जो कि उसको और देना पडा हो मय हर्जा-खर्चा व ब्याज वर कानून सडित नियमानुसार अन्तरणकर्ता व वारिसान अन्तरणकर्ता से जिस प्रकार चाहे वापिस प्राप्त कर ले, अन्तरणकर्ता को कुछ विरोध नहीं होगा, अन्तरिति भूमि मे कास्त करे या विक्रय करे, इसमें अन्तरणकर्ता को कोई आपत्त नही होगी। कब्जा मौके पर अन्तरिति को करा दिया गया है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1)

Handwritten signature

July



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




168077

के अन्तर्गत ऐसे सभी तथ्य तथा परिस्थितियां जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकते हैं को लेखपत्र में सत्यतापूर्वक अंकित कर दिये गये हैं, कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।


विवरण भूमि विक्रीत:- स्थित हापुड परगना व तहसील हापुड जिला गाजियाबाद में खाला संख्या 1938 खसरा संख्या 1471/1 रकबा 0.835 हेक्टेयर व खसरा

20/11/06

[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



168078


संख्या 1479/1 रकबा 0.562 हेक्टेयर व खसरा संख्या 1480 रकबा 0.114 हेक्टेयर व खसरा संख्या 1481/1 रकबा 0.710 हेक्टेयर व खसरा संख्या 1482/1 रकबा 0.463 हेक्टेयर व खसरा संख्या 1490/2 रकबा 0.288 हेक्टेयर इस प्रकार कुल नम्बरान 6 इकाई रकबा 2.972 हेक्टेयर जिसपर लगान 146.95 रुपये सालाना निर्धारित है. मे से विक्रेता ने अपना हक्की व तमामी पूर्ण

11/11/21

Guly



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



168079

9

1/6 भाग रकबा 0.4953 हेक्टेयर भूमि इस लेख द्वारा विक्रय की है, अब अन्तरणकर्ता का कोई हक व हिस्सा उक्त जसरा संख्या में शेष नहीं बचा है और न ही भविष्य में माना व समझा जावेगा। भूमि किसी बाड़ा व कर्चियाना नहीं है, जिसकी रेट लिस्ट के पृष्ठ संख्या 1 के अनुसार सरकारी दर 20,00,000/- रुपये प्रति एकड़ है। उक्त भूमि ग्राम की आबादी के 200 मीटर की परिधि के बाहर है, भूमि में कोई पेड़ या ट्यूबवेल आवि नहीं लगा है, विक्रेता-क्रेता अनुसूचित जाति के है, उक्त भूमि में वर्तमान में कृषि ही रही है, उक्त भूमि की सीमाएं संलग्न नक्शेनुसार हैं। उक्त भूमि किसी जनपदीय मार्ग, लिंक मार्ग अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है जो सड़क से 500 मीटर से अधिक दूर है।


विवरण प्राप्त धनराशि :- उक्त कुल मूल्य में से 7,61,100/- रुपये पेशगी व

20/11/2019

[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




168080

10

1,00,000/- का नोट 143937 का शीट नं. 91, 9444/- का नोट का
 नंबर 143938 मिश्रित है। इस पतेसवार, नई दिल्ली स्थित
 23-11-2005 के द्वारा प्राप्त किया। इस प्रकार कुल 25 प्राप्त किया कुल 25
 कोई पैसा शेष नहीं रहा है और ना ही भविष्य में माना व सम्भवा जावेगा।

अतः यह लेख धिक्क-पत्र अपनी स्पष्टता, प्रसन्नता, सद्बुद्धि व चेतन्य मन की

2005/11/21



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000


Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



501122


गवह्या में बिल्ला बन्नाब लिखा दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे

मोहम्मद कासम

Gray



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



B 009787

12

मसविदा स्वयं पक्षगण के कहने पर टाइप किया गया है।

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

स. गवाह. श्री. मोहम्मद अली खान सैयदुल्ला भण्डा पाली, गोरखपुर

स. गवाह. श्री. राजेश कुमार

श्री. राजेश कुमार सिंह / श्री. राजेश कुमार सिंह
अथवा श्री. राजेश कुमार सिंह

मसविदा
दिनांक

पा. नं. 11-20886

श्री. राजेश कुमार सिंह / श्री. राजेश कुमार सिंह
अनुज्ञा सं. 49 विधिमार्ग वर्ष-
स्थान हापुड, मिरा-गाधियाबाद
फीस 200/-